आज अ

उनके ... लिये देने के लिये तैयार है

हर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 108/2018 177/2019

1. सुखपाल सिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।
2. जगतारसिंह पुत्र हाकमसिंह जाति जट सिख निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला गंगानगर।।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हरनामसिंह वल्द नानकसिंह – फोत
1/1 रूपचन्द पुत्र हरनामसिंह कोम बावरी साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
1/2 पूर्णसिंह पुत्र हरनामसिंह कोम बावरी साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
1/3– कृष्ण पुत्र हरनामसिंह कोम बावरी साकिन खेरूवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1.	श्री चिमनलाल दुआ	प्रार्थीगण
2.	श्री त्रिलोक चन्द चायल	अप्रार्थी सं. 1/1 से 1/3

आदेश दिनांक :– 21.1.19

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी.ए. के तहत संक्षेप मे इस प्रकार पेश किया कि तहसील सादुलशहर पटवार हल्का खेरूवाला के वाके 23 पीटीपी खाता संख्या. 108/124 व पं.न.94/147 मु.न. 52 का किला नं. 15, 16, 17, 24, 25/1.265 हैक्टैयर प.न. 95/147 मु.न. 53 का किला नं. 11, 12, 19 ता 22/ 1.518 हैक्टैयर प.न. 94/148 मु.न. 57 का किला नं. 4, 5/ 0.506 हैक्टैयर कुल 3.289 हैक्टैयर यानि 13.00 बीघा आराजी नहरी दर्ज है। प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी मे आने जाने के लिये कोई स्थाई एवं स्वीकृत रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकारो की रजामंदी से निकाल गये रास्ते मे बार बार बाधाएं उत्पन्न कर दिये जाने के कारण प्रार्थी गण एवं उनके परिवार को खेती बाड़ी करने मे काफी परेशानी होती है। इसलिये प्रार्थीगण को उक्त आराजी मे आने जाने हेतू रास्ता स्वीकृत एवं स्थाई करवाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 के पिता हरनामसिंह नाम से चक 23 पीटीपी मे खाता संख्या 119/98 मे प. न. 94/147 मु.न. 52 का किला नं. 2 ता 8/1.771 हैक्टैयर रकबा दर्ज कागजात पटवार माल है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के कब्जा काश्त मे है। प्रार्थीगण अपने खेत मे आने जाने के लिये जिस रास्ते का उपयोग करते है वो रास्ता चक 23 पीटीपी खाता संख्या 119/98 प.न. 94/147 मु.न. 52 किला नं. 5 व 6 मे से होकर जाता है उक्त रकबा पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 का कब्जा है और राजस्व रिकॉर्ड मे यह किले अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण के उक्त ख्वक 23 पीटीपी खाता संख्या 119/98 प.न. 94/147 मु.न. 52 किला नं. 5 व 6 मे से छोड़े गये घरेलू रास्ता मे से प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण की सहमति से अपने खेत मे आते जाते है। प्रत्येक काश्तकार को आवश्यकतानुसार एवं इच्छानुसार अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिये स्वतंत्र एवं स्थाई रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। प्रार्थीगण का परिवार कृषि पर निर्भर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

अज अर

है जिसे खेती बाड़ी हेतू बार बार अपने नाम एवं कब्जा काश्त की आराजी मे आना जाना पड़ता है । अपनी आराजी मे आने जाने मे किसी प्रकार की कोई रूकावट व कानूनी बाधा ना रहे इसलिये प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के नाम चक 23 पीटीपी खाता संख्या 119/98 प.न. 94/147 मु.न. 52 किला नं. 5 व 6 मे से हैक्टेयर रकबा मे से चल रहे रास्ता को स्वीकृत करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकार किया जाकर तहसील सादुलशहर के पटवार हल्का खेरूवाला के चक 23 पीटीपी खाता संख्या 119/98 प.न. 94/147 मु. न. 52 किला नं. 5 व 6 मे से पश्चिम दिशा की और 1½ – 1½बिसवा रास्ता पत्थर लाईन के साथ मुताबिक मजरी नक्शा स्वीकृत किया जाकर स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाया जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/3 की ओर से श्री त्रिलोक चन्द चायल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर ईकबाल जवाब पेश किया प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। जवाब स्टेट पेश हुआ।

पत्रावली मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के कथनो पर सहमति प्रकट करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। बहस मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की भूमि मे से रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जिसमे अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित आकर ईकबाल जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया हैं। चूंकि प्रार्थी को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता है। पक्षकारान रास्ता स्वीकृत किये जाने मे सहमत है। ऐसी स्थिति मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं ईकबाल कथनो एवं प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि तहसील सादुलशहर के पटवार हल्का खेरूवाला के चक 23 पीटीपी खाता संख्या 119/98 प.न. 94/147 मु. न. 52 किला नं. 5 व 6 मे से पश्चिम दिशा की ओर 1½ – 1½ बिस्वा रास्ता पत्थर लाईन के साथ रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार रास्ता अंकन राजस्व रिकार्ड मे किया जावें। प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 23 पीटीपी प.न. 94/147 मु.न. 52 का किला नं. 15 में किला नं. 6 से लगती हुई 0.038 हैक्टैयर यानि 3 बिसवा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज की जावे।। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21.11.19 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.11.19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.14 15:46:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: